सुविचार
मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते, वहीं नफरत के साथ तो हम अच्छाइयां भी ठीक से नहीं देख पाते।

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

कुल पृष्ठ 14 | मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 12, अंक 55

मानसून

	बारिश अब तक	औसत	कम/ज्यादा
देश	648.5 mm	693.1	(-6%)
हरियाणा	277.3 mm	370.9	(-25)
दिल्ली	469.8 mm	515.1	(-9)

dainikbhaskar.com | नई दिल्ली, बुधवार 29 अगस्त, 2018 | भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, तृतीया-2075 | 12 राज्य | 66 संस्करण

स्किल इंडिया : सर्टिफिकेट लेने वालों को दो लाख रुपए का बीमा मिलेगा

- यह स्किल सर्टिफिकेट मिलने की तारीख से तीन साल के लिए होगा

एजेंसी | नई दिल्ली

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत सर्टिफिकेट लेने वाले युवाओं को दो लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। यह बीमा तीन साल के लिए होगा। सरकार उन्हें डिजिटल लॉकर की सुविधा भी देगी। उन्हें ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्किल सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में ही दिया जाएगा।

पीएमकेवीवाई का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार भरती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सीवीओ राजेश अग्रवाल ने बताया, 'मंत्रालय की इस योजना का संचालन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) कर रहा है। कौशल बीमा मुहैया कराने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से गठजोड़ किया गया है। इसके तहत ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता का बीमा कवर दिया जाएगा। यह बीमा स्किल सर्टिफिकेट की तारीख से तीन साल के लिए प्रभावी होगा। बीमे का प्रीमियम एनसीडीसी भरेगा।'

पीएमकेवीवाई केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इसके जरिए सरकार कम-पढ़े लिखे या 10वीं, 12वीं के ड्रॉप आउट (बीच में स्कूल छोड़ने वाले) युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देती है। केंद्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से 2020 तक एक करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है।

डिजिटल सर्टिफिकेट एप या वेब पोर्टल से डाउनलोड होगा

स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग पूरी करने वालों को सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर के जरिए दिया जाएगा। यह एप या वेब पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। डिजिटल लॉकर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दस्तावेज और सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में जारी किए जा सकते हैं और इनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है।